

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 24.01.2025

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(6)वित्त/कर/2023-61 दिनांक 27.09.2023 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में उनके प्रत्येक के सामने उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण जिले के लिए इसके द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	रजिस्ट्रार	जिला
1	2	3
1.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर वृत्त	अजमेर
2.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अलवर वृत्त-I	अलवर, कोटपूतली-बहरोड
3.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अलवर वृत्त-II	खैरथल-तिजारा
4.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बांसवाडा वृत्त	बांसवाडा
5.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बाड़मेर वृत्त	बाड़मेर
6.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भरतपुर वृत्त	भरतपुर
7.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भीलवाडा वृत्त	भीलवाडा
8.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर वृत्त	बीकानेर
9.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ वृत्त	हनुमानगढ
10.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर वृत्त-I	जयपुर
11.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर वृत्त	जोधपुर
12.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, कोटा वृत्त	कोटा
13.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, पाली वृत्त	पाली
14.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, सीकर वृत्त	सीकर
15.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, उदयपुर वृत्त	उदयपुर
16.	जिला कलक्टर, बालोतरा	बालोतरा
17.	जिला कलक्टर, बारां	बारां
18.	जिला कलक्टर, ब्यावर	ब्यावर
19.	जिला कलक्टर, बून्दी	बून्दी
20.	जिला कलक्टर, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ
21.	जिला कलक्टर, चूरू	चूरू
22.	जिला कलक्टर, दौसा	दौसा

८९

23.	जिला कलक्टर, डीग	डीग
24.	जिला कलक्टर, धौलपुर	धौलपुर
25.	जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन	डीडवाना-कुचामन
26.	जिला कलक्टर, इंगरपुर	इंगरपुर
27.	जिला कलक्टर, जैसलमेर	जैसलमेर
28.	जिला कलक्टर, जालौर	जालौर
29.	जिला कलक्टर, झालावाड	झालावाड
30.	जिला कलक्टर, झुंझुनूं	झुंझुनूं
31.	जिला कलक्टर, करौली	करौली
32.	जिला कलक्टर, नागौर	नागौर
33.	जिला कलक्टर, फलौदी	फलौदी
34.	जिला कलक्टर, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
35.	जिला कलक्टर, राजसमन्द	राजसमन्द
36.	जिला कलक्टर, सलूमबर	सलूमबर
37.	जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
38.	जिला कलक्टर, सिरोही	सिरोही
39.	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
40.	जिला कलक्टर, टोंक	टोंक

(सं. प.2(6)वित्त/कर/2023-105)

राज्यपाल के आदेश से,



(डॉ० खुशाल यादव)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव